

30/4/2022

अभिलेख उपस्थापित / देनदार के द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नजारेत शाखा में N.R.No.- 3409456, दिनांक- 20.04.2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार के संबंधित नीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में दैनिकार द्वारा 50% भांश जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाग पत्र वाद निष्पादन की प्रत्याशा में अगिलेख की कारवाई बंद की जाती है।

लैख्यपत्र

निष्पादन
नीलाग पत्र पदाधिकारी
पाकुलिया